

22/2/17

अभिभावक पक्षकार उपस्थित।  
आदेश को लेंस हो जाने। R.A.A. महोदय  
अभिभावक/अन्य प्रशासकीय कार्य  
निमित्त पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/4/17  
को पेश हो।  
oim

19/4/17

अभि. अक्षीलान्त/रेस्पों उपस्थित  
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल  
दिनांक 19/7/17 को पेश हो।  
ले जारी करें।  
प्रस्तुत नोटिस  
आवश्यक तब

19/7/17

अभि. अक्षीलान्त/रेस्पों उपस्थित  
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल  
दिनांक 13/9/17 को पेश हो।

13/9/17

अभि. अक्षीलान्त/रेस्पों उपस्थित  
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल  
दिनांक 15/11/17 को पेश हो।

15/11/17

अभि. अक्षीलान्त/रेस्पों उपस्थित  
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल  
दिनांक 23/01/18 को पेश हो।

23/01/18

अभि. अक्षीलान्त/रेस्पों उपस्थित  
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल  
दिनांक 07/03/18 को पेश हो।  
अलग नोटिस जारी करें।

7/3/18

अभि. अक्षीलान्त/रेस्पों उपस्थित  
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल  
दिनांक 20/6/18 को पेश हो।

13/3/18

आवेदनकर्ता द्वारा जमाना पत्र  
श्रीकृ. मुनवारि का प्रस्तुत होने पर जमाना  
पत्रावली प्रस्तुत हुई। आवेदनकर्ता अक्षीलान्त  
ने उपात्केत होकर जमाना पत्र 15/04/18

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कामल कवर | एलाडीमल

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

तारीख हुकम

11  
2014

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दीवानी के साथ न्यायालय सहायक कलक्टर  
फागी का निर्णय दिनांक 17/6/17 की नकल  
प्रस्तुत करते उसे निवेदन किया कि  
आधेनस्थ न्यायालय द्वारा वस 225  
राजस्थान कानूनकारी अधिनियम से  
सम्बन्धित मूल वाद का राजीनामे के  
आधार पर निस्तारण कर दिया है।  
इसलिए यह अपील जब साबहीन  
हो गई है। जब खारिज करना पड़े।

इसने आधेनस्थ प्राचीन अपील  
की वस पर गौर किया एवं पगावली का  
अवलोकन किया। इस न्यायालय के समक्ष  
विचाराधीन यह अपील 225 राजस्थान  
कानूनकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत  
हुई है, जिससे सम्बन्धित मूल वाद को  
ही आधेनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित  
किया जा चुका है, जिससे यह अपील  
जब साबहीन हो गई है। जब अपील  
अपीलाधीन साबहीन होने से खारिज  
की जाती है। तदनुसार पगावली केस  
शुभार होकर वाद तत्परीत जारी  
रखते हो। आदेश सुनाया गया।